न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

........2/115/2022........ तारीख रजू..............................

हरिओम बनाम मोहरवती कौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रा०पत्र मय दावा प्रार्थी के वकील श्री ने मुक वाद के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होवे। अप्रार्थी संख्या - 1 की ओर से श्री सुभाषचन्द शर्मा अधि० ने केवियट प्रा०पत्र पेश किया। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होवे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/5/22 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	10/5/22
6.5.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। सूचक आदेश दिनांक 2/5/22 की पालना में ... तलबी रजिस्टर्ड डाक दिनांक 10/5/22 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/5/22	वकलाय उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या - 1 की ओर से श्री सुभाषचन्द अधि० ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जवाब लिया गया। पत्रावली वास्ते शेष की तलबी दिनांक 12/5/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
12/5/22	वकलाय उपस्थित हैं। अप्रार्थी संख्या - 2 की ओर से श्री रामप्रतिलाल शर्मा एड० ने वकालतनामा जवाब पेश किया। एवं स्थगन की केवियट वकील एवं वकील सुनी की फाइल। केवियट पर सुना गया वास्ते आदेश दिनांक 13/5/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

नम्बर हुकम तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
6/9/22	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. के कार्य बहिष्कार पर रहा है। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/9/22 को पेश हो।	
15/9/22	वकुलाय .... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. की वास्ते जवाब दी को समय चाहा दिनांक 4/10/22 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
4/10/22	वकुलाय .... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. की वास्ते जवाब बहस को और समय दिनांक 18/10/22 को पेश हो खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
18/10/22	वकुलाय अस्थायी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 20/10/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
20/10/22	वकुलाय उपस्थित। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय होने वाली क्षति प्रार्थीपक्ष के पक्ष में वखूबी साबित है अतः निषेधाज्ञा निवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1000, 1002, 1099/1151, 279, 330/1243, 928, 929, 930, 939, 997, 999, एवं आराजी खसरा नम्बर 261, 263, 356, 361, 364, वाके ग्राम [illegible] हजारी सायल का स्टे प्रार्थना पत्र अस्थायी को साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 13.5.22 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमित प्रकरण से लिखाया जाकर [illegible] किया गया पत्रावली [illegible] [illegible] के साथ पेश रहे। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 2/115/2022

वउनवान

1. हरिओम पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी तुसारी तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायल

बनाम

1. मोरध्वज पुत्र मंगल जाति जाट निवासी तुसारी
2. सतवीर पुत्र मोरध्वज जाति जाट निवासी तुसारी
3. सब–रजिस्ट्रार साहब तहसील कठूमर

---- गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री मानसिंह चौधरी –अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री महेन्द्र सिंह कपासिया – अधिवक्ता गैरसायल संख्या 1 की ओर से

श्री रामजीलाल शर्मा अधिवक्ता गैरसायल, संख्या 2

आदेश

दिनांक 20.10.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र में आराजी खसरा नम्बर 1000 रकबा 0.15 हे. 1002 रकबा 0.22 हे. 1099/1151 रकबा 0.03, 279 रकबा 0.33, 330/1243 रकबा 0.35, 928 रकबा 0.08, 929 रकबा 0.07, 930 रकबा 0.08, 939 रकबा 0.39, 997 रकबा 0.31, 999 रकबा 0.22 है, कुल किता 11 कुल रकवा 2.23 हैक्टर हे. का 1/3 हिस्सा व आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

नंबर 261 रकवा 0.08, 263 रकवा 0.19 हैक्टर, 356 रकबा 0.12, 361 रकबा 0.08, 364 रकबा 0.22 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकवा 0.69 हैक्टर वाके ग्राम तुसारी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र हाजा में विवादित आराजी के नाम से संबोधित की जा रही है। ताईद में नकल जमाबन्दी हाल पेश की गई। यह कि सायल व गैरसायल संख्या 1 व दावा के तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। श्रीमान् को रोशन होगा कि मोरध्वज गैरसायल संख्या 1 सायल का दादा व गैरसायल संख्या 2 सायल का पिता लगता है। एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 सायल की बहन लगती है। सायल व गैरसायल संख्या 1 आपस में दादा पोता व सायल व गैरसायल संख्या 2 आपस में पिता–पुत्र हैं व एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। उपरोक्त संयुक्त आराजी सायल के दादा मोरध्वज पैदा कर्दा आराजी होने से पैतृक आराजी से ही विवादित आराजी सायल के पिता गैरसायल संख्या 2 सतवीर को विरासत से प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के दादा मोरध्वज से सायल के पिता सतवीर गैरसायल संख्या 2 को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी सायल के दादा मोरध्वज की पैदा कर्दा होने से पैतृक आराजी है। जिससे सायल को जन्म से ही वो हक/अधिकार पैदा हो चुके हैं। विवादित आराजी में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी है जिसमें सायल का व तरतीवी संख्या 4 का हिस्सा है। उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से सायल को विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन दादा की पैदाकर्दा आराजी में उनके पौत्रों को जन्म से ही अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं। इसी अधिकार के तहत सायल तरतीवी प्रतिवादी को विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है, जिसमें सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या कब्जाकाश्त करते आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर कब्जा काश्त हैं। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज रहने से सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के हक हकूवों पर विपरीत असर पड रहा है। सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ने गैर सायल संख्या 1 से साफ इन्कार कर दिया है। अतः सायल गैरसायल को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकार है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाए कि वे विवादित आराजी के कब्जेकाश्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

में रुकावट व नजामद पैदा न करें। प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर गैरसायल को तादावा फैसला पाबंद कराने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–सायल को जरिए नोटिस तलब किया गया।

गैर सायल संख्या 2 ने इकवाल जवाब पेश कर कोई एतराज नहीं जताया एवं गैर सायलान संख्या 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामिल उपस्थित नहीं हुआ। जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गैरसायलन संख्या–01 ने हाजिर अदालत होकर सायल के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए अपना जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि सायल का प्रार्थना–पत्र पैरा संख्या 1 इतना सही है कि उक्त वउनवान का मुकदमा अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। शेष तथ्य गलत हैं स्वीकार्य नहीं हैं। सायल को दावा हाजा में कामयाबी की उम्मीद छोड देनी चाहिए। प्रार्थना–पत्र का पैरा नंबर 2 सही कि इस जिम्मन में इतना सही है कि वर्णित आराजी ग्राम तुसारी तह0 कठूमर में स्थित है शेष तथ्य गलत हैं। उक्त आराजी विवादित आराजी नहीं है व प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या 3 में वर्णित सजरा सायल व गैरसायल के सजरा बाबत् सही है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य सही व स्वीकार्य नहीं हैं विवादित आराजी तन्हा गैरसायल संख्या 1 व अन्य साझीदारान के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर गैरसायल संख्या 1 काबिज काश्त करता चला आ रहा है। सतवीर को विवादित आराजी विरासत में प्राप्त नहीं हुई है न ही सायल वोतरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त हुई है। विवादित आराजी से सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा कैसे है, सायल ने दर्ज नहीं किया है। यदि सायल विवादित आराजी को पैतृक आराजी साबित करने में सफल रहता है, तो सायल वोतरतीवी प्रतिवादी स्वयं की विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है। सायल स्वयं नदबई में निवास करता है तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है, जो कोई हिस्सा विवादित आराजी में नहीं लेना चाहती है। सायल वोतरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ने 1/4 हिस्सा अपने नाम कराने बाबत् कभी भी सायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

से नहीं कहा। सायल विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सायल का विवादित आराजी पर कोई कब्जाकाश्त नहीं है। इस वजह से प्रार्थना–पत्र सायल काबिले खारिज है। जिसे खारिज फरमाया जावे। सायल का विवादित आराजी पर एक क्षण के लिए भी कब्जा नहीं रहा है। सायल ग्राम तुसारी में नहीं रहता है बल्कि नदबई में रहता है। गैरसायल संख्या 1 एक वृद्ध व्यक्ति है। जिस पर किसान क्रेडिट कार्ड का 6,00,000/– रुपए ग्रामीण बैंक तसई का कर्जा है तथा को–ऑपरेटिव सोसायटी तुसारी का 82,000/– रुपए का कर्जा है तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 की शादी के लिए 5000/– नेम पुत्र दौली से उधार लिए हैं। कुंवरपाल तसई से 4,00,000/– रुपए उधार लिए हैं दरबसिंह पुत्र मंगल निवासी तुसारी से 5,00,000/– रुपए जुताई के उधार हैं। सायल प्रतिवादी दो आपस में मिले हुए हैं तथा इनकी नीयत खराब हो गई है तथा गैर सायल संख्या 1 द्वारा लिए गए कर्जे को चुकाना नहीं चाहते हैं। स्टे प्रार्थना–पत्र की आड में विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं तथा गैरसायल संख्या 1 के कब्जेकाश्त में रुकावट व मजहामत पैदा करना चाहते हैं। गैर सायल व प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं विवादित आराजी को गैर सायल संख्या 1 से बेचान कराकर रकम हडपना चाहते हैं। सायल प्रतिवादी संख्या 2 मिन गैर सायल संख्या 1 के साथ मारपीट करते हैं। जान से मारने की नियत से गर्दन भीच देते हैं, जिससे कि वो बेचान करने को मजबूर होना पडें। किसी प्रकार की क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है। स्टे की आड में गैर सायल संख्या 1 को जबरन बेदखल करने में सफल हो गए तो, कब्जा कर लिया जायेगा जिससे गैर सायल संख्या 1 तबाह व बर्वाद हो जाएगा, जिससे उसे नापूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। गैर सायल संख्या 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। सायल वेकब्जा व्यक्ति है। नाकाबिज व्यक्ति को स्टे प्रार्थना–पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मेंटेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 पेश की वाके ग्राम तुसारी की छायाप्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायल को अपने प्रार्थना–पत्र को साबित करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है।

1. प्रथम दृष्ट्या केस
2. सुविधा का संतुलन
3. नापूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी सायल के कब्जेकाश्त की आराजी है। गैरसायल को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 1000, 1002, 1099/1151, 279, 330/1243, 928, 929, 930, 939, 997, 999 एवं आराजी खसरा नंबर 261, 263, 356, 361, 364 वाके ग्राम तुसारी तह0 कठूमर सायल एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे में रुकावट मजहामद पैदा न करें। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा न करें। किसी दीगर व्यक्ति को रहन भी न करें। मुंतकिल न करें रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें एवं अधिवक्ता सायल ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तादावा फैसला पाबंद करवाए जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोन किया व विद्वान अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी का अवलोन किया। अवलोकन से यह सही है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1000, 1002, 1099/1151, 279, 330/1243, 928, 929, 930, 939, 997, 999 एवं आराजी खसरा नंबर 261, 263, 356, 361, 364 वाके ग्राम तुसारी तह0 कठूमर सायल की खातेदारी में दर्ज है। सायल को किसी तरह की क्षति अथवा किसी तरह का नुकसान होता हो, इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः सायल अपने प्रार्थना–पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा के संतुलन नापूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में साबित न होकर गैर सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निषेधाज्ञा से पाबंद आराजी खसरा नंबरान 1000, 1002,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

1099/1151, 279, 330/1243, 928, 929, 930, 939, 997, 999 एवं आराजी खसरा नंबर 261, 263, 356, 361, 364 वाके ग्राम तुसारी तह0 कठूमर पर जारी सायल का स्टे प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी. एक्ट साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 13.05.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 20.10.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)